भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2897

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

पीडीएस के लिए वार्षिक आय में वृद्धि

2897. श्री अमरा राम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभाग का प्रस्ताव सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वार्षिक आय को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गया है; और

(घ) क्या खाद्यान्न का वितरण केवल मुद्रास्फीति के कारण किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की जाती है: केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार और शेष परिवार, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासन द्वारा स्वयं विकसित मानदंडों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर, प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को चिह्नित करने के लिए मानदंड राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं।

...2/-

(ग): रुपया और डॉलर सहित मुद्राओं का सापेक्ष मूल्य अनेक वृहद आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जिनमें अन्य के साथ-साथ ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन आदि शामिल हैं तथा यह गतिशील प्रकृति का होता है।

(घ): यह अधिनियम लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मानवीय जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है,

इस अधिनियम में 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को शामिल करने का प्रावधान है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्तियों के बराबर है। वर्तमान में, लगभग 80.56 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

*****